ABSTRACT

अनुसूचित जनजाति में नेतृत्व की प्रवृत्ति

देवानन्द तिवारी
शोधार्थी (समाजशास्त्र)
शा. ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

सारांश

पंचायतीराज अधिनियम 1993 के संवैधानिक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग को ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायत राज का क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जनजाति नेतृत्व का यह अध्ययन स्पष्ट करताा है कि नेतृत्व की सामाजिक आर्थिक स्थिति कमोवेश अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह ही औसतन निम्न स्तर की है। ग्रामीण सामाजिक सरंचना में परम्परागत रूप से निम्न स्थिति प्राप्त इस वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व करने का यह प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायतराज की बहुविविध गतिविधियों में ग्राम पंचायत बांसा के अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व की स्थिति प्रशिक्षणाथी के समान रही है। अशिक्षा, कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कार्य के औपचारिक अनुभव का अभाव जैसे कारणों से इन नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति अनभिज्ञता दिखाई दी। इसके बावजूद ग्रामीण विकास पंचायत की समस्याएँ अनुसूचित जनजाति वर्ग उत्थाान जैसे विषयों पर इस नेतृत्व ने स्पष्ट विचार व्यक्त किए जिसमें ये देखने में आया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में नेतृत्व की अपार संभावनाएँ है।

मुख्य शब्द - *पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जनजाति नेतृत्व*।

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्